न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 95/14 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2014/00364

अनवान्

1. श्री शम्भु सिंह गोदपुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी चार चडस डबोक तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती किसन कुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी अभयसिंह राजपूत निवासी आमली का कुआ तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती बसन्तकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी लादूसिंह राजपूत निवासी मण्डीयाना, खरमेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्री भंवरसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी चार चडस डबोक तहसील मावली।
4. श्रीमती सोहनकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी चार चडस डबोक तहसील मावली।
5. तहसीलदार साहब मावली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.10.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 47, 51, 52, 54, 56, 83, 84, 89 किता 8 कुल रकबा 10 बीघा आराजीयात में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, फेफाकुंवर पिता डुलेसिंह का 1/4 हिस्सा, हीरसिंह, गिरधारीसिंह, लहरकुंवर, जसाकुंवर, भागु कुंवर पिता दौलतसिंह का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1, 43 किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, फेफाकुंवर का 1/12 हिस्सा, हीरसिंह, गिरधारीसिंह, लहरकुंवर, जसाकुंवर, भागु कुंवर पिता दौलतसिंह का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, गमेरसिंह पिता माधोसिंह, चतरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, धनसिंह पिता गुलाबसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, इन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह, अभयसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

पिता रूपसिंह के नाम 66/960 हिस्सा, अर्जुनसिंह, अभयसिंह पिता रूपसिंह, सायरकुंवर पत्नी रूपसिंह के नाम 1/24 हिस्सा, उंकारसिंह, सरदारसिंह पिता देवीसिंह के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खातेदार गमेरसिंह, चतरसिंह, धनसिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं।

2. यह कि सजरा खानदान प्रार्थी एवं विपक्षीगण का इस प्रकार है :–

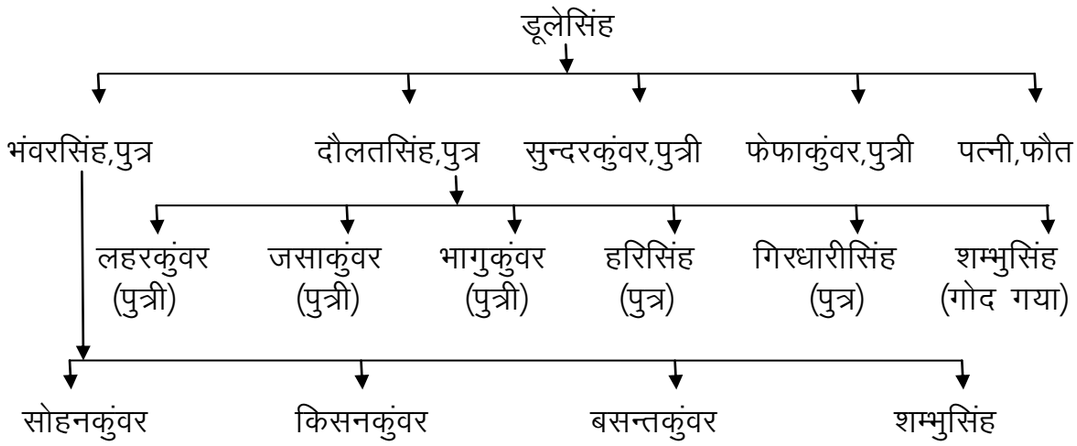

3. यह कि स्वर्गीय डूल्हेसिंह के पुत्र भंवरसिंह एवं दौलतसिंह हुए। भंवरसिंह के कोई लडका नहीं हुआ। उनके दो लडकिया किसनकुंवर एवं बसन्तकुंवर विपक्षी संख्या 1 व 2 हुई। प्रार्थी को भंवरसिंह ने आज से करीब 17–18 वर्ष पूर्व जाति रस्म रिवाज से गोद लिया तभी से प्रार्थी भंवरसिंह जी के साथ ही पुत्र होकर सेवा चाकरी कर रहा हैं। सारी सम्पति पर काबिज हैं। श्रीमती किसनकुंवर एवं श्रीमती बसन्तकुंवर दोनो अपने–अपने ससुराल में रह रही हैं। इनका कभी वादगत जमीन पर कब्जा नहीं रहा हैं। प्रार्थी ने अपने पिता भंवरसिंह जी की जमीन में एक ट्यूबवेल 7 साल पहले खुदवाई तथा जमीन पर पक्का मकान 3 साल पहले बनवाना चालु किया। विपक्षी संख्या 3 भंवरसिंह जी जो कि मेरे पिता है उनको विपक्षी संख्या 1, 2 बहला फुसलाकर उनके हिस्से की जमीन को अपने नाम पर करवाने पर आमादा हो आज से एक माह पहले गांव में आई तथा मेरे से भी लडाई झगडा किया तथा कहा कि तुम्हारे को घर से निकाल देंगे। जमीन हमारी है, हम हमारे पिता की जमीन को हमारे नाम करवा लेंगी तुम्हारे 1 ईन्च जमीन भी नहीं रहने देंगी।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का नाम मेरे पिता दौलतसिंह जी के बजाय विरासत से नहीं खुला है जो जमाबन्दी से साफ है। मेरा नाम भंवरसिंह जी के राशनकार्ड में साथ लगा हुआ हैं। हम पिता पुत्र है इस प्रकार मैं प्रार्थी मेरे दत्तक पिता भंवरसिंह जी के हिस्से का मालिक हूं तथा जमीन हमारे पूर्वज डुल्हेसिंह जी का जिसकी खाता नकल सम्वत् 2032 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

2035 साथ संलग्न है। पैतृक जमीन में सभी वारिसान का जन्म से अधिकार होता है तथा एक व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। अब विपक्षी संख्या 1, 2 ने जमीन अपने नाम करवाने पर आमादा है। रजिस्ट्री करवा ली है तथा म्यूटेशन खुलवाने पर आमादा हैं। उक्त वर्णित जमीन को विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम म्यूटेशन खुलवाकर अपने नाम दर्ज कराने पर आमादा हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 ने विपक्षी संख्या 3 भंवरसिंह जी से विक्रय पत्र निष्पादित कराया है वह मेरे मुकाबले नल एण्ड वोईड है क्योंकि भंवरसिंह जी को सम्पूर्ण जमीन को विक्रय करने का अधिकार नहीं था क्योंकि भंवरसिंह की स्वअर्जित सम्पति नहीं है। इसलिए भंवरसिंह जी को अपने हिस्से से अधिक जमीन को विक्रय करने का हक अधिकार नहीं था इसलिए विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी के मुकाबले नल एण्ड वोईड हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को कल दिनांक 01.06.2014 को भेरूसिंह पिता चमनसिंह जी राजपूत निवासी बामणियाखेत ने बताया कि मावली में रजिस्ट्री हो रही है फिर हम मावली आये पता किया तो मालूम हुआ। यदि विपक्षी संख्या 1, 2 व विपक्षी तहसीलदार मावली, पटवारी पटवार हल्का डबोक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया तो वे प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन का म्यूटेशन विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम खोल देंगे तो प्रार्थी अपने हिस्से की जमीन से सदैव के लिये वंचित हो जाऊंगा जिसमें मुझे जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा जबकि विपक्षीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं। प्रार्थी वादगत जमीन का खातेदार काश्तकार है और इसकी घोषणा कराने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। प्रार्थना पत्र कारण एक माह पूर्व पैदा हुआ एवं दिनांक 01.06.2014 को जब भेरूसिंह पिता चमनसिंह जी राजपूत निवासी बामणिया खेत ने कहा कि रजिस्ट्री मावली में हो रही है पता चला फिर मैने कहा तो इन्कार हो गये। अब सारी जमीन का म्यूटेशन खुल जायेगा तो मुझे नुकसान होगा। मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगें। प्रार्थना पत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

6. यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। जमीन मौरूसी हैं। डुल्हेसिंह जी की जमीन थी। भंवरसिंह जी मेरे पिता है मैं उनका गोद पुत्र हुं। राशनकार्ड में हम दोनों का पिता पुत्र का नाम दर्ज हैं। मेरा भी जमीन में हक हिस्सा हैं। सभी का हिस्सा मेरे पिता को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। अभी परिवार में कोई धार्मिक, सामाजिक या वैवाहिक कार्य नहीं है, न कोई गम्भीर बीमारी से पीडित है जिसमें पैसों की आवश्यकता हो। पिताजी को बहला फुसलाकर बहने जमीन लेना चाह रही हैं। उनका कब्जा भी नहीं है। म्यूटेशन से जमीन अपने नाम करवाने पर आमादा है। ऐसी अवस्था में विपक्षीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उनको कोई असुविधा या क्षति नहीं होगी। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन में प्रार्थी के कब्जे काश्त की जमीन में विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रवेश नहीं करे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। विपक्षी संख्या 5 व 6 तहसीलदार एवं पटवारी को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का म्यूटेशन विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम नहीं खोले, न अपने नोकर चाकर एजेन्ट से करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, प्रारम्भिक आपत्ति मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट अ में दुल्हेसिंह की लडकी सुन्दरकुंवर का भी 1/4 हिस्सा था वह शम्भुसिंह ने खरीद लिया इसलिए इसमें शम्भुसिंह का 1/4 हिस्सा है एवम् वह 1/4 हिस्सा मुझ विपक्षी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दी है व कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं। इस तरह वर्तमान में 1/4 हिस्से की मालिक विपक्षी संख्या 1 व 2 हैं। मुझ सोहनकुंवर का कोई हिस्सा नहीं हैं। परिशिष्ट ब में 1/12 हिस्सा सुन्दरकुंवर का था वह शम्भुसिंह ने खरीद लिया इसलिए शम्भुसिंह का 1/12 हिस्सा है तथा मुझ विपक्षी भंवरसिंह का 1/12 हिस्सा था वह 1/12 हिस्सा मुझ विपक्षी भंवरसिंह ने विपक्षी संख्या 1, 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिूपर्द कर दिया हैं। सजरा खानदान में शम्भुसिंह को मुझ भंवरसिंह का दत्तक पुत्र बताया गया है वह गलत हैं। मुझ भंवरसिंह ने कभी भी शम्भुसिंह को गोद नहीं लिया हैं।

8. यह कि मुझ भंवरसिंह ने आज से करीब 17–18 वर्ष पहले कभी भी शम्भुसिंह को जाति रस्म रिवाज के अनुसार गोद नहीं लिया है तथा शम्भुसिंह ने कभी भी मुझ भंवरसिंह की पुत्र की हैसियत से सेवा नहीं की है, न ही जमीन पर काबिज है। सारे कथन मिथ्या व गलत अंकित किये हैं। सारी जमीन पर कब्जा मुझ भंवरसिंह का ही आ रहा था और किशनकुंवर, बसन्तकुंवर जो मेरी पुत्रीयां है उनको जमीन विक्रय करने के बाद जमीन पर उनका कब्जा है और वह एवं उनके पति आते जाते रहते हैं। शम्भुसिंह ने मुझ भंवरसिंह की जमीन पर कभी भी कोई ट्यूबवेल नहीं खुदवाया है, न ही कोई मकान ही बनवाया है। विपक्षी संख्या 1, 2 मेरी पुत्रीयां है उन्होने मुझे किसी प्रकार से नहीं बहकाया है बल्कि मैने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के विक्रय कर रजिस्ट्री करवाई है। ऐसी अवस्था में हम विपक्षी संख्या 1, 2 उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर जमीन हमारे नाम पर करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी हस्तान्तरिकरण रूकवाने का कोई अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। हम विपक्षी संख्या 1, 2 ने कभी भी प्रार्थी से झगडा नहीं किया हैं। दौलतसिंह जी की मृत्यु के बाद विरासत से खाता किसके नाम पर खुलवाया यह मुझ भंवरसिंह को जानकारी नहीं है तथा प्रार्थी जिस राशनकार्ड का हवाला दे रहा है वह राशनकार्ड मुझ भंवरसिंह ने नहीं बनवाया है बल्कि मेरी बिना इजाजत व सूचना के शम्भुसिंह ने राशन अधिकारियों से मिलकर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया हो तो उसमें प्रार्थी गोद पुत्र नहीं हो सकता है तथा उस राशनकार्ड की इन्ट्री से मैं विपक्षी भंवरसिंह पाबंद नहीं हुं। दुल्हेसिंह जी के मरने के बाद जो जमीन मुझ विपक्षी के नाम पर आई है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वह जमीन पैतृक नहीं होकर मुझ विपक्षी भंवरसिंह की निजी सम्पति मानी जाती है उस दृष्टि से इस जमीन में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं बनता है इसके अलावा भी दी हिन्दू एडोपशन एण्ड मेन्टेनेन्स एक्ट की धारा 13 के अनुसार अगर गोद साबित भी हो जाऐ फिर भी गोदीना पिता को अपनी सम्पति को बेचने का पूरा अधिकार है उस दृष्टि से भी मुझ भंवरसिंह को अपनी जमीन को बेचने का पूरा अधिकार है एवम् उसी अधिकार से मुझ विपक्षी भंवरसिंह ने जमीन बेची हैं।

9. यह कि जो विक्रय पत्र मुझ विपक्षी ने विपक्षी संख्या 1, 2 के पक्ष में सम्पादित किये है वह विक्रय पत्र बिल्कुल ही सही व कानूनी हैं। जमीन मुझ विपक्षी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी तथा खातेदार को अपनी जमीन बेचने का पूरा अधिकार है। दुल्हेसिंह के मरने के बाद वह सम्पति कानूनन स्वअर्जित मानी जाती है तथा गोद साबित होने पर भी गोदीना बाप को धारा 13 हिन्दू एडोपशन एण्ड मेन्टेनेन्स एक्ट के अनुसार जमीन बेचने का पूरा अधिकार रहता है। इस तरह विक्रय पत्र वोइड नहीं हैं ज्यादा से ज्यादा वोईडेबल हो सकते है एवं वोईडेबल दस्तावेज को जब तक सिविल न्यायालय से केन्सल नहीं करवा देगे तब तक प्रार्थी को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है एवं काबिल खारिज योग्य है तथा हम विपक्षी संख्या 1, 2 को अपनी जमीन का नामान्तरकरण खुलवाने का पूरा अधिकार हैं। नामान्तरकरण खुलने से प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं हैं।

10. यह कि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल फिसकल प्रोसीडिंग है एवं नामान्तरकरण खुलने से प्रार्थी के हितो पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पडता है और इस मामले में तो प्रार्थी का तो कोई हित ही नहीं हैं। अतः प्रार्थी को नामान्तरकरण रूकवाने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी को हमारे विरूद्व कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता हैं। मैं भंवरसिंह वृद्ध व्यक्ति हूं इसलिए मुझे रूपयो की आवश्यकता होने से जमीन विक्रय की हैं। मुझे किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

ने बहलाया फुसलाया नहीं है। प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है, न ही नामान्तरकरण रूकवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समायत का नहीं हैं। प्रथम तो प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र का आधार गोद पुत्र होना कहा जा रहा है इसलिए इस मामले में मुख्य विवाद यह रहेगा कि प्रार्थी विपक्षी भंवरसिंह का गोद–पुत्र है या नहीं। ऐसी अवस्था में गोद के बिन्दू को तय करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस बारे में रेवेन्यु बोर्ड ने हाईऐस्ट ऑथरिटी अपने कई निर्णयों में यह तय कर दिया है कि गोद के बिन्दू को तय करने का अधिकार रेवेन्यु कोर्ट को नहीं होकर सिविल न्यायालय को हैं। दूसरा यहां तक की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सवाल है वह विक्रय पत्र खातेदार स्वयं ने अपनी मनमर्जी से बिना किसी दबाव के अपनी कानूनी जरूरीयात के लिए विक्रय किया हैं इसलिए वह विक्रय पत्र वोईड नहीं होकर वोईडेबल है इस दृष्टि से भी यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समायत का नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

11. **विशेष कथन प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से इस मामले में कोई लिखित गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है वह गोद के लिये जो मुख्य बिन्दू गिविंग एण्ड टेकिंग का होना चाहिए वह बिन्दू भी इस सारे प्रार्थना पत्र में कही पर भी नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। भंवरसिंह ने उसे 17–18 वर्ष पूर्व गोद लिया। प्रथम तो इसमें इसने एक्जेट सन् या तारीख नहीं बताई है। दूसरा अगर वास्तव में वह 17–18 वर्ष पूर्व गोद जाना बताता लेकिन उसके लिये प्रथम दृष्टया ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे प्राइमाफेसी यह माना जा सके कि प्रार्थी 17–18 वर्ष पूर्व गोद गया हो। इसके अलावा भी प्रार्थी का जन्म 1978–79 के आसपास हुआ उस दृष्टि से 17–18 वर्ष पूर्व में प्रार्थी की आयु 15 वर्ष से ऊपर हो जाती है एवं कानून की दृष्टि से 15 वर्ष से ऊपर का लडका गोद नहीं हो सकता एवं वह गोद इनवेलेड रहता है इससे भी प्रार्थी का कोई मामला नहीं बनता हैं। प्रार्थी ने जो राशनकार्ड प्रस्तुत किया है वह राशन कार्ड 17–18 वर्ष पूर्व का नहीं है बकोल प्रार्थी अगर 17–18 वर्ष पूर्व गोद जाता तो उस समय के राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम होता लेकिन उस समय के राशनकार्ड को इसलिए पेश नहीं किया क्योंकि उसमें उसका नाम नहीं है केवल बाद में चालाकी से बिना विपक्षी भंवरसिंह को सूचित किये राशन अधिकारी से मिलकर नाम लिखवा दिया ऐसा नाम लिखने से कोई गोद नहीं हो सकता है और उसकी कोई वेल्यू नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि दुल्हेसिंह जी के मरने के बाद विरासत से 1/4 हिस्सा मुझ विपक्षी भंवरसिंह में वेस्ट हो गया और अगर उसके बाद गोद लेना साबित भी हो जाऐ तो भी मुझ विपक्षी में जो हिस्सा वेस्ट हो गया गोद साबित होने पर भी वह हिस्सा डाइवेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी दृष्टि से चलने योग्य नहीं है एवं खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी शम्भुसिंह व इसके भाई गिरधारीसिंह दोनो की शादी गांव मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर में तख्तसिंह की दोनो लडकियों के साथ स्वयं उनके पिता दौलतसिंह जी ने वर्ष 1998 में करवाई थी इससे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्ष 1998 में अपने पिता दौलतसिंह के साथ ही रहा एवं उन्होने ही उनकी शादी करवाई अगर इससे पहले वह भंवरसिंह के गोद आ जाता तो शादी भंवरसिंह जी करवाते। इससे भी प्रार्थी का गोद जाने का कथन केवल भंवरसिंह की सम्पति हडपने के लिए गलत उजर लेकर यह प्रार्थना पत्र लेकर आया है इसलिए भी यह प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

13. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** हम विपक्षीया किसनकुंवर एवं बसन्तकुंवर के मूल खातेदार से काफी बदल देकर जमीन क्रय की है जिस पर हमारा कब्जा है एवं हम खातेदार काश्तकार हो चुकी हैं। हम महिलाऐं हैं एवं प्रार्थी ताकत के बल पर जोर जबरदस्ती आराजीयात में किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार नहीं होते हुए भी हमारे शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करता है और झगडा करता है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वर्तमान में महिलाओं को अपनी सम्पति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है तथा हम विपक्षीयां को अपनी खातेदारी की जमीन पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने का अधिकार है और राज्य सरकारों द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किये जा रहे है। इसलिए हम प्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है कि प्रार्थी स्वयं नौकर एजेन्ट कोई भी हमारे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, हमको शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, हमारी जमीन में प्रवेश नहीं करें। हम विपक्षी संख्या 1, 2 का मजबूत प्राइमाफेसी केस हैं। मूल खातेदार से हमने काफी बदल देकर जमीन खरीदी है तथा वर्तमान में हम जमीन की खातेदार हैं। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में है जबकि इसके विपरित प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है। बिना किसी प्राइमाफेसी सबूत के केवल हमको परेशान करने की गरज से इस झूठे दावे की आड में हमको परेशान करने पर तुला हुआ हैं। ऐसी दृष्टि में सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं।

14. यह कि काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.06.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी ने हमारे विरूद्व जो मुकदमा कि[illegible] की सूचना मिली तथा मौके पर लडाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

झगडा करने पर आमादा हुआ तथा हमारे शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल दी उससे उत्पन्न हुआ उत्पन्न होकर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

15. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के गोदीना पिता भंवरसिंह के नाम दर्ज है जो गोदपुत्र की हैसियत से हिस्सेनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए। विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी को कभी गोद नहीं रखा था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 भंवरसिंह पिता डुलेसिंह के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के आधार पर यह जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2014 से अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 को विक्रय कर दी परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ हैं जिससे वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम ही दर्ज चली आ रही हैं। विपक्षी संख्या 3, विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता हैं। प्रार्थी स्वयं को विपक्षी संख्या 3 का गोदीना पुत्र होना बताकर विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता हैं। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त विक्रय दिनांक 30.05.2014 को किया गया था। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 03.06.2014 को प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 12.06.2014 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विपक्षी संख्या 3 भंवरसिंह वर्तमान में जीवित हैं एवं विपक्षी संख्या 3 HUF कर्ता खानदान होने से उसे अपनी जायज जरूरतो की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय करने का पूरा अधिकार हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गोदनामा भी पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी को गोद रखा हो, ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी गोद लेने की दिनांक भी अंकित नहीं की गई। इस कारण प्रार्थी के गोद जाने के कथन पर संशय उत्पन्न होता हैं। **इस सम्बन्ध में "हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अनुसार दत्तक माता–पिता को अपनी सम्पति को अपनी इच्छानुसार निपटाने का अधिकार देती है, जब तक कि दत्तक ग्रहण के समय कोई विपरीत समझौता न हो। यह धारा गोद लेने के बाद भी दत्तक माता–पिता को अपनी सम्पति को वसीयत या अन्तर–जीवित हस्तान्तरण (inter-vivos transfer) द्वारा बेचने या स्थानान्तरित करने की शक्ति से वंचित नहीं करती हैं। सम्पति का निपटान करने का अधिकार–गोद लेने के बाद भी, दत्तक माता–पिता के पास अपनी सम्पति को बेचने, दान करने या वसीयत के माध्यम से किसी को देने की शक्ति बनी रहती है। विपरित समझौते की शर्त–यह अधिकार तभी लागू होता है जब दत्तक ग्रहण के समय सम्पति के निपटान से संबंधित कोई विपरित समझौता न हुआ हो। यदि ऐसा कोई समझौता मौजूद है, तो वह मान्य होगा।"** इस प्रकरण में भी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि सम्पति हस्तान्तरण बाबत् प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 के मध्य कोई लिखित शर्त अथवा समझौता हुआ हो। इस प्रकार विपक्षी संख्या 3 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के उपयोग उपभोग, रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि हेतु स्वतन्त्र हैं। भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका जाता है तो विपक्षीगण अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का उपयोग उपभोग आदि नहीं कर पायेंगे तथा विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 3 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरित कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई है। विपक्षी संख्या 3 HUF कर्ता खानदान होने से उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

अपनी जायज जरूरतो की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय, हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 3 खातेदार होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार विपक्षी संख्या 3 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरित कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा गोदीना पुत्र की हैसियत से वादग्रस्त भूमि में हिस्से की घोषणा चाही गई है परन्तु गोद जाने के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 जीवित होकर खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो विपक्षीगण अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगें तथा विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

17. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 की खाता संख्या 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 47, 51, 52, 54, 56, 83, 84, 89 किता 8 कुल रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार एवं खाता संख्या 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 1, 43 किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के गोदीना पिता भंवरसिंह के नाम दर्ज है जो गोदपुत्र की हैसियत से हिस्सेनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए। विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी को कभी गोद नहीं रखा था।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 भंवरसिंह के नाम पर हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, 2,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 3 की पुत्रीयां हैं। प्रार्थी स्वयं को विपक्षी संख्या 3 का गोदीना पुत्र होना बताकर विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। विपक्षी संख्या 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2014 से विक्रय कर दी गई जिसका नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ हैं। विपक्षीगण का कथन है कि भंवरसिंह ने प्रार्थी को गोद नहीं रखा है।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी के गोद जाने के आधार पर घोषणा सम्बन्धी हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी प्रकार का कोई गोदनामा पेश नहीं किया, ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी गोद लेने की दिनांक अंकित की गई। इस कारण प्रार्थी के गोद जाने के कथन पर संशय उत्पन्न होता हैं। वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 भंवरसिंह जीवित हैं एवं विपक्षी संख्या 3 HUF कर्ता खानदान होने से उसे अपनी जायज जरूरतो की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय करने का पूरा अधिकार हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested